

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082021-228823
SG-DL-E-07082021-228823

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]	दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 2021/श्रावण 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 218]	DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 2021/SHRAVANA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 118

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

सं. फा. 03/01/एचईएसएमए/2020/गृह पुलिस-II/1788-1797.—जबकि गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 22.10.2020 की अधिसूचना सं. फा. 3/01/हेस्मा/2020/गृह पुलिस-II/4757-4765 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आवश्यक और निर्बाध सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम तक खाद्यान्नों उनकी एफसीआई के गोदामों, डीएससीएससी लिमिटेड के गोदामों में खाद्यान्नों की लोडिंग/अनलोडिंग और सरकार द्वारा अपेक्षित अन्य गोदामों, इन गोदामों के लिए खाद्यान्न का उचित मूल्य की दुकानों/निर्धारित स्थानों और लोडिंग/अनलोडिंग के लिए उनका परिवहन को छह महीने की अवधि अर्थात् 21.4.2021 तक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया था।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और व्यवस्था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन की उपलब्धता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं हैं।

अतः अब गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974(1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उपरोक्त सेवाओं को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME POLICE-II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2021

F. No. 3/01/HESMA/2020/HP-II/1788-1797.—Whereas vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi notification No. F.3/01/HESMA/2020/HP-II/4757-4765 dated 22.10.2020, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in order to ensure maintenance of the essential and uninterrupted services, declared movement of the food grains up to Food Corporation of India godowns in Delhi, loading/unloading of the food grains at the godowns of FCI godowns, DSCSC Ltd. and any other godowns requisitioned by the Govt., their further transportation of the food grains from these godowns to the Fair-Price Shops/designated locations and loading/unloading of the food grains at these locations as essential service for the period of six months i.e. upto 21.04.2021.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the Public Distribution System and provision and availability of sufficient quantity of ration to the people in the national Capital Territory of Delhi are essential services necessary for the life of the community in the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 526(E) dated 30.7.1993, hereby declares the above said services as essential services for the National Capital Territory of Delhi for a period of six months with effect from date of issuance of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)